5703

IV 59

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय, महुआ

दिनांक **08/07/2011** को श्री/श्रीमती **Satya Prakash Singh** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० **1100/-** मुद्रांक शुल्क एवं रु० **2726/-** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्त्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है । इसे दस्तावेज सं0 **59** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **1** के पृष्ट सं0 **384** से **399** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **16** पृष्टों में संधारित किया गया ।

ह०

(Prashant Kumar)
निबंधन पदाधिकारी

Date : 08/07/2011

SCANNED (Pages 384 to 399 by ... 08-07-11)

2726

ch - 1100

110, 111, 112, 113

अवर निबंधन कार्यालय महुआ

ट्रस्ट दलील

Serial No : 5703
Token No : 5702

Deed No : 59
of 2011

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
	Chanda Kumari चंदा कुमारी 7-7-2011 **Signature of Party**						
	Sarita Kumari सरिता कुमारी 7.7.11 **Signature of Party**						
	Jawahar Lal Ray जवाहर लाल राय 7-7-2011 **Signature of Party**						
	Deepak Kumar Singh दीपक कुमार सिंह 7-7-2011 **Signature of Party**						
Self	*Satya Prakash Singh* सत्य प्रकाश सिंह 7-7-11 **Signature of Party**						
	Satya Prakash Singh **Signature of Party**						
Identifier	*Krishan Kishor Varma* कृष्ण किशोर वर्मा 7.7.2011 **Signature of Party**						

आज दिनांक 7.7.11 को निम्नलिखित न्यासकर्त्ता श्री सत्य प्रकाश सिंह, पिता–राम नरेश सिंह, ग्राम+पो0–राजापाकड़, थाना–राजापाकड़, जिला–वैशाली (बिहार) ने एक ट्रस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया एवं निमित में निम्नलिखित सज्जनों को ट्रस्टी नियुक्त करते है।

क्रं0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्री सत्य प्रकाश सिंह, पिता–राम नरेश सिंह	ग्राम+पो0+थाना–राजापाकड़, जिला–वैशाली	समाजसेवा	न्यासकर्त्ता
2.	चंदा कुमारी पिता–सुनील कुमार सिंह	ग्राम–जगदीश कमतौल, पो0–अनन्त कमतौल, थाना–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर	समाजसेवा	न्यासी
3.	श्रीमती सरिता देवी पति–श्री मनोज कुमार सिंह	ग्राम+पो0–बिलन्दपुर, थाना–महुआ, जिला–वैशाली	समाजसेवा	न्यासी
4.	श्री जवाहर लाल राय पिता–स्व0 गोपाल सिंह राय	ग्राम+पो0+थाना–राजापाकड़, (पश्चिम टोला) जिला–वैशाली	समाजसेवा	न्यासी
5.	दीपक कुमार सिंह पिता–असर्फी लाल सिंह	ग्राम+पो0+थाना–राजापाकड़, जिला–वैशाली	समाजसेवा	न्यासी

चूँकि ट्रस्ट 51,000/– (एकावन हजार) से सार्वजनिक ट्रस्ट स्थापित करने के लिए इच्छुक है।

अतः इस ट्रस्ट दस्तावेज के द्वारा यह घोषण की जाती है कि :-

1. ट्रस्ट ने अपनी अभिलाषाओं को मूर्त रूप देने के लिए ट्रस्टीजों के जिम्में 51,000/- (एकावन हजार) रूपये दिये, जिसे ट्रस्टी ट्रस्ट के स्वामित्व में उपयोग एवं उपभोग करेंगे, साथ ही और जो कोई भी सम्पत्ति एवं कोष ट्रस्ट को प्राप्त होगा, वह सब ट्रस्ट के नियमानुसार ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यकलापों के लिए संचालित करेंगे एवं भविष्य की सम्पूर्ण प्राप्त राशि दान, चल-अचल सम्पत्ति उक्त 51,000/- (एकावन हाजार) रूपये की मूल राशि में अंगीभूत होगा। इस राशि को ट्रस्ट फण्ड के नाम से जानी जाऐगी।

उक्त 5 (पाँच) व्यक्ति सम्मिलित रूप से न्यासी के नाम से जाने जायेगें ।

अतः ट्रस्ट दस्तावेज के द्वारा घोषणा करती हे कि :-

1. यह "कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट" के नाम से जाने जायेगें।

2. ट्रस्ट का स्मृति-पत्र :-

(क) ट्रस्ट का नाम :- "कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट"

(ख) ट्रस्ट का निबंधित कार्यालयः- ग्राम+पो0+थाना-राजापाकड़ जिला-वैशाली ।

(ग) ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।

(घ) ट्रस्ट का उद्देश्य :-

1. <u>ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य</u> - इस क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले सभी लोगों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे यहाँ से सभी लोगों में सामाजिक, नैतिक चारित्रिक एवं व्यक्तित्व का विकास हो सकें।

अवर निबंधन कार्यालय महुआ

2. सरकार के योजनाओं के अन्तर्गत हस्त–करघा उद्योग, सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, फीटर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रीशियन, लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, ब्यूटीशियन ट्रेनिंग, कुटीर उद्योग, रेडिया, टी0वी0 उद्योग, माईनिंग प्रशिक्षण एवं लोहा का सामान इत्यादि का प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना।

3. ट्रस्ट सामाजिक, आर्थिक एवं कल्याणकारी विषयों पर सम्मेलन सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के जीवन स्तर को उंचा उठाने एवं उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का काम करेगी।

4. ट्रस्ट के द्वारा सभी प्रकार के असहायों एवं आर्थिक रूपा से पिछड़ों को शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, छात्रावास, अनौपचारिक शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर सभंव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना।

5. ट्रस्ट के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलंबी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, मोबाईल मरम्मति, इलेक्ट्रोनिक्स, महाद्यिालय, आयुष मेडिकल कॉलेज, आई0टी0आई कॉलेज, नर्सिंग प्रशिक्षण

अवर निबंधन कार्यालय महुआ

सही दीपक कुमार सिंह (न्यासी)

7-7-2011

कॉलेज, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

6. ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं/पुरूषों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुड़िया, आचार, मुरब्बा, जैम, जैली, गृह उद्योग का प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण की जानकारी देना।

7. ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, महिला शक्तिकरण, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना।

8. ट्रस्ट के द्वारा विकलांग निःसहाय महिलाओं एवं पुरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना।

9. विकलांगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना।

10. ट्रस्ट के द्वारा महिला श्रमिक, बाल श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना। उनके लिए शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना।

11. ट्रस्ट के द्वारा समाज के सभी वर्गो के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्त

अवर निबंधन कार्यालय महुआ

दान शिविर, टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना एवं असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0, कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, नेत्र चिकित्सा, एम्बुलेश सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण करना।

12. ट्रस्ट के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा का प्रचार-प्रसार करना।

13. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। ग्रामीण विकास योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराने, लोगों को स्वच्छ पेयजल, कम लागत के शौचालय, यातयात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना।

14. ट्रस्ट के द्वारा अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन शिक्षा आदि की व्यवस्था करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना।

15. ट्रस्ट के द्वारा आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना। राहत कार्यों में सहयोग करना।

16. समाज में व्याप्त कुरीतियाँ की रोकथाम हेतु कार्य करना। भीक्षाटन उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना

17. ट्रस्ट. के द्वारा के द्वारा युवक-युवतियों को कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन, हार्ड वेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।

18. ट्रस्ट के द्वारा कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपर्युक्त साधन, वर्मी खाद, मशरूम एवं मखाना की खेती, जलछाजन, जलसंचयन आदि उपलब्ध कराना। फसल बीमा, पशु बीमा एवं अन्य बीमा की जानकारी एवं प्रचार-प्रसार कर लोगों को लाभान्वित करना तथा बंजर भूमि का निवारण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना।

19. औषधीय, सुगंधी पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलबध कराना।

20. ट्रस्ट के द्वारा पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र-पत्रिकाओं का वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना। कलाकारों को प्रोत्साहित करना।

21. ट्रस्ट द्वारा वन्य जीव, पशु-पक्षी एवं लावारिश पशु के संरक्षण हेतु प्रयास करेगी।

22. देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना।

23. उपभोक्त संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।

अवर निबंधन कार्यालय महुआ

सही जवाहर लाल राम मा० 7-7-11
सही दीपक कुमार सिंह ह० 7-7-11
प्रकाश ... मा० 7-7-11
... कुमारी मा० 7-7-2011
सरिता कुमारी 7.7.11

24. ट्रस्ट के द्वारा समय-समय पर आयुष विधा के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयुष से संबंधित औषधियों पर शोध (रिसर्च) कर ट्रस्ट द्वारा औषधि निर्माण करना तथा औषधालय तथा चिकित्सालय का संचालन करना।

25. समाज में व्याप्त नशाखोरी के उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना।

"कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट"

की

नियमावली

क. ट्रस्ट का नाम :- **"कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट"**

ख. ट्रस्ट का अर्थ होगा :- ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति ।

ग. पदाधिकारी :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ. वर्ष से अीाप्राय है :- 01 अप्रैल से 31 मार्च तक ।

ड. सदस्यता :- सदस्य की अवधि सामान्य रूप से 05 वर्षों की होगी।

2. <u>सदस्यता से विमुक्ति</u> :-

    क. कार्यालय की अवधि में स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर।

    ख. सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

    ग. पागल या दिवालिया होने पर।

    घ. ट्रस्ट द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

    ड. ट्रस्ट के नियमों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर।

    च. न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दंडित होने पर।

    छ. ट्रस्ट पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की स्थिति में एवं पदेन सदस्यों की पद समाप्ति होने पर।

3. <u>कार्यकारिणी समिति का गउन</u> :-

ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित 5 (पाँच) सदस्य होंगे।

क. न्यासकर्ता - एक पद

ख. सचिव-सह-न्यासी - एक पद

ग. कोषाध्यक्ष-सह-न्यासी - एक पद

घ. अन्य न्यासी - दो पद ।

ड. <u>ट्रस्ट के पदाधिकारी गण</u> :-

1. अध्यक्ष सह न्यास कर्ता - श्री सत्य प्रकाश सिंह
2. सचिव-सह-न्यासी - चंदा कुमारी
3. कोषाध्यक्ष -सह-न्यासी - श्रीमती सरिता देवी

च. ट्रस्ट का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा तथा सदस्य पुनः चुने जा सकते है।

छ. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं न्यासियों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जाएगा।

ज. अगर कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल के बीच किसी कारणवश कोई पद रिक्त हो जाता है तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी न्यासी को मनोनीत कर सकते है, जिसका चुनाव आम सभा में करा लेना आवश्यक होगा।

4. <u>कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य</u> :-

कार्यकारिणी समिति के निम्नांकित कार्य एवं अधिकार होगा।

क. ट्रस्ट के सभी कार्य का सम्पादन करना तथा प्रस्ताव पारित करना।

ख. ट्रस्ट की सभी चल-अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होना।

ग. ट्रस्ट के समुचित विकास हेत कार्यक्रम निर्धारित करना तथा समिति से स्वीकृति प्राप्त कर उसके क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई करना।

<u>पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य</u> :-

क. अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य :-

1. न्यासकर्त्ता सह अध्यक्ष - ट्रस्ट की एकता एवं मार्यादा का प्रतीक तथा सर्वोच्च प्रहरी होगा।
2. प्रत्येकं बैठक की अध्यक्षता करना।
3. कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर करना।
4. ट्रस्ट की ओर से पत्राचार करना।
5. समान मत की स्थिति में निर्णायक मत देना।
6. ट्रस्ट के किसी भी विषय में विचार-विमर्श सहित बैठक बुलाने के लिए निर्देश देने का अधिकार अध्यक्ष सह न्यासकर्ता का होगा।

ख. <u>सचिव-सह-न्यासी का अधिकार एवं कार्य</u> :-

1. सचिव -सह-न्यासी ट्रस्ट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगे और ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा।
2. ट्रस्ट की ओर से पत्राचार आदि कार्य करना।
3. ट्रस्ट का प्रतिनिधिव्त करना एवं बैठकों का आयोजन करना।
4. ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को सुरिक्षत रखना।
5. ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा -जोखा तैयार कराना एवं अंकेक्षण कराना।
6. आवश्यता पड़ने पर कार्यकारिणी समिति की बिना पूर्व अनुमति के 1,000/- (एक हजार) रूपया तक की राशि अत्यावश्यक कार्य में व्यय करने का अधिकार होगा, जिसकी स्वीकृति अगली बैठक में आवश्यक होगी।

7. बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

ग. <u>कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य</u> :-

1. ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।
2. ट्रस्ट के कोष की राशि का ट्रस्ट के नाम से खुले खाता में जमा करना।
3. प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, चन्दा, दान, अनुदान आदि प्राप्त करके रसीद देना।

4. <u>कोष का संचालन</u> :- ट्रस्ट की सभी राशि बैंक या डाकघर में ट्रस्ट के नाम से खुले खातें में जमा रहेगी। जिसकी निकासी अध्यक्ष सह न्यासकर्त्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। जिसमें न्यासकर्ता सह अध्यक्ष का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

<u>आम सभा का अधिकार एवं कार्य</u> :-

1. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
2. ट्रस्ट के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करना।
3. अध्यक्ष के राय से अन्य विषयों पर विचार करना।

<u>बैठक</u> :-

क. कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी।

ख. आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष की मार्च माह में होगी।

ग. कार्यकारिणी समिति आवश्यक बैठक कभी भी बुला सकती है।

आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी सदस्य आपातकालीन बैठक के लिए अध्यक्ष सह न्यासकर्त्ता या सचिव को सूचित कर सकते है, एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर आवेदन प्राप्त के दस 10 (दस) दिन के अंदर सचिव को उक्त अवधि के अंदर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति निर्णय ले सकती है, जो बहुमत4 से लिया गया निर्णय ट्रस्ट के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

<u>बैठक की सूचना</u> :-

क. कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 07 (सात) दिन 'पूर्व दी जाएगी।

ख. कार्यकारिणी समिति के आवश्यक बैठक की सूचना 02 (दो) दिन पूर्व दी जाएगी।

ग. आम सभा के बैठक की सूचना 10 (दस) दिन पूर्व दी जाऐगी।

<u>आय श्रोत</u> :-

क. प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क ।

ख. चन्दा, दान, अनुदान एवं ऋण आदि से।

ग. ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से ।

घ. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से।

<u>निधि का अंकेक्षण</u> :-

ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा।

कानूनी कारवाई :–

ट्रस्ट पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न्यासकर्त्ता के पदनाम से किया जाऐगा।

संशोधन :–

ट्रस्ट की स्मृति पत्र एवं नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन आम सभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किये जाने पर ही किया जाएगा।

विघटन :–

क. ट्रस्ट का विघटन ट्रस्ट नियमानुसार किया जाएगा।

ख. ट्रस्ट का विघटन किसी कारणवश करना पड़े तो आम सभा की एक तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

1. सत्य प्रकाश सिंह (अध्यक्ष सह न्यासकर्त्ता)

नाम एवं ग्वाहं का

हस्ताक्षर

1. कृष्ण किशोर वर्मा

2. चंदा कुमारी (सचिव सह न्यासी)

महुआ

3. सरिता कुमारी (कोषाध्यक्ष - सह न्यासी)

2. नितिश भारद्वाज

4. जवाहर लाल राम (न्यासी)

5. दीपक कुमार सिंह (न्यासी)

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 64. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs.**	**330**	*Amt. paid by N.J. Stamp Paper -*		**Rs. 0**
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs.**	**0**	*Amt. paid through Bank Challan -*		**Rs. 2806**

Registration Fee

FEE PAID														
											LLR + Process Fee		**Service Charge**
A1	**2040**	C	**0**	H1b	**0**	Ka1	**0**	Lii	**0**	LLR	**0**		
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**	Proc. Fee	**0**		**400**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**	**Total-**	**0**		
A10	**0**	E	**0**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**36**				
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**						
						TOTAL-			**2076**				

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. **2476**

Registering Officer
Mahua

Date : ***07/07/2011***

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Mahua on Thursday, 07th July 2011 by Satya Prakash Singh s/o Ram Naresh Singh by profession Agriculture. Status - Trustee

सत्य प्रकाश सिंह
07.7.11

Signature / L.T.I. of Presentant ***Date : 07/07/2011***

Registering Officer
Mahua

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Krishan Kishor Varma age .... Sex M son/daughter of Keshri Kumar Varma resident of Rajapakar.Ps- Rajapakar. Vaishali.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Mahua

Date .

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 4 of DSRO/ SRO Mahua having 16 pages, in the volume CD-1 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Registering Officer
Mahua

Date : ***08/07/2011***